



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-06022023-243469
CG-RJ-E-06022023-243469

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2023/माघ 17, 1944

No. 551]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2023/MAGHA 17, 1944

रेल मंत्रालय

उत्तर पश्चिम रेलवे

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

जयपुर, 3 फरवरी, 2023

का.आ. 580(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण उनके नीचे अनुसूची में दिया गया है। गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में विशेष रेल परियोजना तरंगाहिल-आबू रोड वाया अंबाजी -नई बड़ी लाइन परियोजना (116.654 कि. मी.) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिये आपेक्षित है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30दिन की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खेदब्रह्मा को लिखित रूप से किया और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के मध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

भारतीय रेल की विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना सहित या संरचना रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण तारंगा हिल – अंबाजी - आबू रोड के बीच नई बड़ी लाइन परियोजना

संख्या	जिला	तहसील	गांव	नया खसरा संख्या	पुराना खसरा संख्या	भूमि के प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग मी.)
1	साबरकांठा	पोशिना	पेटाछापरा (पोशिना)	112	46	व्यक्तिगत	कृषि	1706.21
2	साबरकांठा	पोशिना	पेटाछापरा (पोशिना)	123	57	व्यक्तिगत	कृषि	1415.57
3	साबरकांठा	पोशिना	कोलंद	130	48/1	व्यक्तिगत	कृषि	1039.00
4	साबरकांठा	पोशिना	कोलंद	133	49/1	व्यक्तिगत	कृषि	5913.80
5	साबरकांठा	पोशिना	कोलंद	138	49/3	व्यक्तिगत	कृषि	1181.13
6	साबरकांठा	पोशिना	कोलंद	139	49/2	व्यक्तिगत	कृषि	846.82
7	साबरकांठा	पोशिना	कोलंद	153	61	व्यक्तिगत	कृषि	14.18
8	साबरकांठा	पोशिना	दंत्राल	996	181	व्यक्तिगत	कृषि	2200.00
9	साबरकांठा	पोशिना	दंत्राल	1005	165	व्यक्तिगत	कृषि	365.00
साबरकांठा जिले की अवास की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)								14681.71
साबरकांठा जिले की अवास की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)								1.468

[फा. क्रमांक. उपरे/मुख्या/स.&नि.443599200 भाग-II]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
NORTH WESTERN RAILWAYS
 (Construction Organization)

NOTIFICATION

Jaipur, the 3rd February, 2023

S.O. 580(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 20A of the Railway Act 1989, (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project of "Taranga Hill - Abu Road via Ambaji New BG Line (116.65 Km)" in the stretch of land in the district of Sabarkantha in the state of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to competent authority, namely, the Sub divisional officer Khedbrahma in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority

SCHEDULE (PRIVATE LAND)

Brief description of the land to be acquired, with or without structure for Taranga Hill – Ambaji-Abu Road Special Railway Project of Indian Railways

Sl. No.	District	Taluka	Village	NEW Sr. No.	OLD Sr. No.	Type of Land	Nature of Land	Area (In Sqm.)
1	Sabarkantha	Poshina	PetaChhapra (Poshina)	112	46	Private	Agriculture	1706.21
2	Sabarkantha	Poshina	PetaChhapra (Poshina)	123	57	Private	Agriculture	1415.57
3	Sabarkantha	Poshina	Koland	130	48/1	Private	Agriculture	1039
4	Sabarkantha	Poshina	Koland	133	49/1	Private	Agriculture	5913.8
5	Sabarkantha	Poshina	Koland	138	49/3	Private	Agriculture	1181.13
6	Sabarkantha	Poshina	Koland	139	49/2	Private	Agriculture	846.82
7	Sabarkantha	Poshina	Koland	153	61	Private	Agriculture	14.18
8	Sabarkantha	Poshina	Dantral	996	181	Private	Agriculture	2200
9	Sabarkantha	Poshina	Dantral	1005	165	Private	Agriculture	365
Total Private Land in Sabarkantha District (Sq.m.)								14681.71
Total Private Land in Sabarkantha District (Hectare)								1.468

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. II]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Construction)